

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिए नवीन/नवीनीकरण अनुज्ञप्ति की प्राप्ति हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले सत्यापित दस्तावेजों की सूची

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | प्रबंध संचालक, M0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड को प्रस्तुत प्ररूप - ग (घोषणा सहित) आवेदन {नियम-5(1)} | |
| 1.1 | शोध-क्षमता प्रमाण पत्र | |
| 1.2 | बैंक गारंटी -किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित एवं उक्त बैंक की भोपाल शाखा पर प्रस्तुत और मान्य करने योग्य राशि रूपये 25 लाख की बैंक गारंटी {नियम-5(3)} | |
| 1.3 | बैंक खाता विवरण - बैंक का नाम, बैंक खाते, बैंक खाते का प्रकार, बैंक खाता क्रमांक, शाखा का नाम, आईएफएसी कोड आदि के संबंध में संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र। | |
| 1.4 | आवेदनकर्ता संस्था का पैन नम्बर | |
| 1.5 | आवेदनकर्ता संस्था का GSTIN | |
| 1.6 | आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र ROCA आवेदनकर्ता संस्था विगत 3 वर्षों से कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। {नियम-5(2)(क)} | |
| 1.7 | आवेदनकर्ता संस्था का पते का प्रमाण पत्र तथा लेड लाइन, मोबाइल नम्बर एवं मेल आईडी | |
| 2 | संस्था की ओर से आवेदन करने हेतु प्राधिकारी की पावर ऑफ अटॉर्नी, अधिकार पत्र | |
| 2.1 | प्राधिकारी के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ | |
| 3 | अनुज्ञप्ति फीस रूपये 5000/- प्रतिवर्ष {नियम-5(1)} | |
| 4 | आवेदनकर्ता संस्था विगत 3 वर्षों से अधिसूचित कृषि उपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी के व्यापार में होकर, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी समिति, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयो को सेवा उपलब्ध कराती हो, का प्रमाणपत्र। {नियम-5(2)(क)} आवेदनकर्ता संस्था का केवल इसी से पिछले 2 वर्षों के दौरान कम से कम 2 करोड़ का टर्नओवर हो, के प्रमाण हेतु पिछले 2 वर्षों की अंकेक्षित बैलेंस शीट, लाभ हानि लेखा की स्व-सत्यापित प्रतियां। {नियम-5(2)(क)} | |
| 5 | आवेदनकर्ता संस्था, ई-नीलाम प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए मान्यता प्राप्त है, का प्रमाणपत्र। {नियम-5(2)(ख)} आवेदनकर्ता संस्था ने पिछले 2 वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कम से कम 1000 ई-नीलामी पूर्ण की हो जिसका मूल्य 200 करोड़ हो। संबंधित दस्तावेज के स्व-सत्यापित प्रतियां। {नियम-5(2)(ख)} | |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | <p>आवेदनकर्ता संस्था का एकल अस्तित्व होना चाहिये। मंडल (संघ) आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे। आवेदनकर्ता संस्था के लिए सरकार/राज्य सरकार/अन्य शासकीय संस्था कालासूची बद्ध या पात्रता से अलग न कर दिया गया हों या अपात्रता की किसी घोषणा के अधीन भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार का घोषित नहीं होना चाहिये। इस आशय का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र। {नियम-5(2)(ग)}</p> <p>आवेदनकर्ता संस्था, ऑनलाईन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के साथ प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष कोई सहभागी अंश या कोई भागीदारी नहीं रखेगा और प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से अधिसूचित कृषि उपज क्रय नहीं करेगा। इसके प्रमाण स्वरूप शपथ पत्र। {नियम-5(2)(ड)}</p> | |
| 7 | <p>आवेदनकर्ता संस्था को आईएसओ 27001 के लिए प्रमाणित होना चाहिये। स्वयं का डोमेन, ई-नीलामी संबंधी सॉफ्टवेयर, आवेदनकर्ता संस्था एवं स्वयं का डेटा सेन्टर, (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) त्रिस्तरीय (टियर-3) व्यवस्था का होना चाहिए, का प्रमाण पत्र। {नियम-5(2)(घ)}</p> <p>ई-नीलामी संबंधी साफ्टवेयर आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा स्वयं डिजाइन किया हुआ, विकसित और स्वामित्व का होना चाहिये तथा ई-नीलामी पोर्टल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीव्हीसी), डेइटी (इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 एवं ई-नीलामी प्रक्रिया को अग्रसर करने वाली अन्य नियामक संस्था का विश्वस्त होना चाहिये। (सुसंगत दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए) {नियम-5(2)(घ)}</p> | |
| 8 | <p>आवेदनकर्ता संस्था, आनलाईन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के साथ प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष कोई सहभागी अंश या कोई भागीदारी नहीं रखेगा और प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से अधिसूचित कृषि उपज क्रय नहीं करेगा। इसके प्रमाण स्वरूप शपथ पत्र। {नियम-5(2)(ड)}</p> | |

5 (ड) अनुसार शपथपत्र

बैंक गारंटी 25 लाख

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिए नवीन/नवीनीकरण अनुज्ञप्ति की प्राप्ति हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले सत्यापित दस्तावेजों की सूची

| | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 1 | प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड को प्रस्तुत प्ररूप - ग (घोषणा सहित) आवेदन {नियम-5(1)} | संलग्न |
| 1.1 | शोध-क्षमता प्रमाण पत्र | संलग्न |
| 1.2 | बैंक गारंटी -किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित एवं उक्त बैंक की भोपाल शाखा पर प्रस्तुत और मान्य करने योग्य राशि रूपये 25 लाख की बैंक गारंटी {नियम-5(3)} | 50 लाख की बैंक गारंटी संलग्न |
| 1.3 | बैंक खाता विवरण - बैंक का नाम, बैंक खाते, बैंक खाते का प्रकार, बैंक खाता क्रमांक, शाखा का नाम, आईएफएसी कोड आदि के संबंध में संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र। | नवीन अनुज्ञप्ति के प्रकरण में लागू |
| 1.4 | आवेदनकर्ता संस्था का पैन नम्बर | संलग्न |
| 1.5 | आवेदनकर्ता संस्था का GSTIN | संलग्न |
| 1.6 | आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र ROCA आवेदनकर्ता संस्था विगत 3 वर्षों से कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। {नियम-5(2)(क)} | संलग्न |
| 1.7 | आवेदनकर्ता संस्था का पते का प्रमाण पत्र तथा लेड लाइन, मोबाइल नम्बर एवं मेल आईडी | संलग्न |
| 2 | संस्था की ओर से आवेदन करने हेतु प्राधिकारी की पावर ऑफ अटॉर्नी, अधिकार पत्र | संलग्न |
| 2.1 | प्राधिकारी के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ | संलग्न |
| 3 | अनुज्ञप्ति फीस रूपये 5000/- प्रतिवर्ष {नियम-5(1)} | संलग्न |
| 4 | आवेदनकर्ता संस्था विगत 3 वर्षों से अधिसूचित कृषि उपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी के व्यापार में होकर, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी समिति, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयो को सेवा उपलब्ध कराती हो, का प्रमाणपत्र। {नियम-5(2)(क)} | नवीन अनुज्ञप्ति के प्रकरण में लागू |
| | आवेदनकर्ता संस्था का केवल इसी से पिछले 2 वर्षों के दौरान कम से कम 2 करोड़ का टर्नओवर हो, के प्रमाण हेतु पिछले 2 वर्षों की अंकेक्षित बैलेंस शीट, लाभ हानि लेखा की स्व-सत्यापित प्रतियां। {नियम-5(2)(क)} | |
| 5 | आवेदनकर्ता संस्था, ई-नीलाम प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए मान्यता प्राप्त है, | नवीन |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| | का प्रमाणपत्र। आवेदनकर्ता संस्था ने पिछले 2 वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कम से कम 1000 ई-नीलामी पूर्ण की हो जिसका मूल्य 200 करोड़ हो। संबंधित दस्तावेज के स्व-सत्यापित प्रतियां। {नियम-5(2)(ख)} {नियम-5(2)(ख)} | अनुज्ञप्ति के प्रकरण में लागू |
| 6 | आवेदनकर्ता संस्था का एकल अस्तित्व होना चाहिये। मंडल (संघ) आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे। आवेदनकर्ता संस्था के लिए सरकार/राज्य सरकार/अन्य शासकीय संस्था कालासूची बद्ध या पात्रता से अलग न कर दिया गया हों या अपात्रता की किसी घोषणा के अधीन भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार का घोषित नहीं होना चाहिये। इस आशय का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र। {नियम-5(2)(ग)} | संलग्न |
| 7 | आवेदनकर्ता संस्था को आईएसओ 27001 के लिए प्रमाणित होना चाहिये। स्वयं का डोमेन, ई-नीलामी संबंधी सॉफ्टवेयर, आवेदनकर्ता संस्था एवं स्वयं का डेटा सेन्टर, (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) त्रिस्तरीय (टियर-3) व्यवस्था का होना चाहिए, का प्रमाण पत्र। {नियम-5(2)(घ)} | संलग्न |
| | ई-नीलामी संबंधी साफ्टवेयर आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा स्वयं डिजाइन किया हुआ, विकसित और स्वामित्व का होना चाहिये तथा ई-नीलामी पोर्टल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीव्हीसी), डेइटी (इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 एवं ई-नीलामी प्रक्रिया को अग्रसर करने वाली अन्य नियामक संस्था का विश्वस्त होना चाहिये। (सुसंगत दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए) {नियम-5(2)(घ)} | |
| 8 | आवेदनकर्ता संस्था, ऑनलाईन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के साथ प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष कोई सहभागी अंश या कोई भागीदारी नहीं रखेगा और प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से अधिसूचित कृषि उपज क्रय नहीं करेगा। इसके प्रमाण स्वरूप शपथ पत्र। {नियम-5(2)(ड)} | संलग्न |